न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 240/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भीखसिंह पुत्र मूलसिंह 2. अजीतसिंह पुत्र मूलसिंह निवासी– सघड, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।		1. खुमानसिंह 2. किशोरसिंह 3. खुशालसिंह 4. भगवानसिंह पुत्रान लिछमणसिंह निवासी– करणीपुरा बैठवासिया तहसील ओसियाँ, जोधपुर। 5. तहसीलदार ओसियाँ।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2018 जो प्रकरण संख्या 310/2017 अनवान भीख सिंह बनाम खुमानसिंह वगैराह में उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री स्वर्णसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री जे0के0 गहलोत, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो0 1 ता 4 की ओर से ।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 29–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उनकी खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि ख0सं0 2064/2 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा व अपीलान्ट संख्या 1 की ख0सं0 2064 रकबा 26 बीघा 16 बिंस्वा भूमि ग्राम करणीपुरा की सरहद में आई हुई है जो अलग–अलग राजस्व खातों में दर्ज है लेकिन नक्शा ट्रेस में अलग तरमीम नहीं है, उक्त खसरों के बीच कोई विवाद नहीं है। उक्त खसरान के उत्तर में ख0सं0 2060 रकबा 72 बीघा 18 बिस्वा व ख0सं0 2063 रकबा 02 बीघा 4 बिस्वा भूमि रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के नाम आई हुई व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलान्ट व रेस्पो0 के उक्त खसरान भूमि के मध्य सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर तहसीलदार, ओसियॉ के आदेश दिनांक 12.4.17 के द्वारा मौके पर मोमी ट्रेस की सहायता से सीमाकंन करवाया। उसके उपरान्त भी रेस्पो0 द्वारा मौके पर आकर गलत तरीके से सीमा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। अतः उक्त खसरान के मध्य की सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पण्डित जी की ढाणी में रखी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2018 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौके अनुसार भूमि कम होने के आधार पर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे

पारित कर दिया। इसके अलावा पत्रावली को बिना नियमानुसार दर्ज किये ही आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली लम्बित रहने के समय रेस्पो0 की तलबी के लिये चल रही थी तथा दिनांक 21.8.17 से 20.4.18 तक पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का को मौका रिपोर्ट का आदेश दिये बगैर उनकी ओर से पेश एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर बिना रेस्पो0 को सूचित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार के समक्ष सीमाकंन के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की ओर से मौकें पर पहुंच कर मीमो ट्रेस नक्शे की सहाता से अपीलान्टस की भूमि का सही नाप लिया और कच्चे निशानात लगाये गये तथा मौका फर्द तैयार की जाकर उपस्थित पक्षकारान के हसताक्षर करवाये। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त रिपोर्ट पर गौर किये गये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट की अपील को स्वीकार की जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो विधि अनुकूल उचित है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारान की सुनवाई करने के उपरान्त तथा पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका फर्द को आधार मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था क्योंकि पटवारी हल्का की दिनांक 28.6.2017 व दिनांक 3.5.2018 की पेश रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 2064 कुल रकबा 107.01 बीघा दर्ज होना मौका कब्जा व नक्शा लटठा ट्रेस अनुसार मूल ख0सं0 2064 का कुल रकबा 103.01 बीघा है जो मौके अनुसार ख0स0 2064 में 1.00 बीघा व ख0सं0 2064/1 में 2.0 बीघा व ख0सं0 2064/2 में 1.00 बीघा भूमि कम पाई गई थी। जिसके कारण पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं बताया। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौके पर भूमि कम होने को आधार मानते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियाँ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र पटवारी हल्का की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय लिया गया है यानि प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया गया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान की खसरा भूमि का कुल रकबा रेकर्ड एवं मौके पर भिन्न है, कम है। ऐसे में अधिनस्थ

जोधपुर

न्यायालय को चाहिये था कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत हुए प्रकरण में अन्तिम निर्णय लिये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि बाबत टीम गठित की जाकर विधिवत सीमाकंन करने के पश्चात प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पत्थरगढी करवाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय. ओसियाँ को पक्षकारान को सुनवाई/अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने, वादग्रस्त खसरान भूमि का विधिवत सीमाकंन करवाने की कार्यवाही पूर्ण करवाने के उपरान्त नये सिरे से पत्थरगढी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, ओसियाँ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ओसियाँ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वादग्रस्त खसरान भूमि बाबत टीम गठित की जाकर विधिवत सीमाकंन कराने के पश्चात पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान के उपरान्त नये सिरे से पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 29–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर